

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4468
जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

बारां और झालावाड़ के लिए परवन नदी से जलापूर्ति

4468. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के अंतर्गत बारां के 900 से अधिक गांवों और झालावाड़ में 134 गांवों को शामिल किए जाने की स्थिति क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा उन्हें शामिल करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) इन गांवों के निवासियों को परवन नदी परियोजना के अंतर्गत कब तक जल प्राप्त होने की आशा है और चरण-1 के लिए शेष प्रमुख लक्ष्य क्या हैं;
- (घ) क्या बारां और झालावाड़ जिले के लिए महत्वपूर्ण चरण-1 की प्रगति धीमी रही (40 प्रतिशत पूर्ण) जबकि अन्य जिलों को लाभान्वित करने वाले चरण-2 का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) प्रभावित गांवों को आपूर्ति की प्राथमिकता देने के बजाय जल का उपयोग विद्युत परियोजनाओं के लिए किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
- (च) सिंचाई और पेयजल के संबंध में विलंब का किसानों और निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इन क्षेत्रों में समान आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया कि परवन अकवाड जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत बारां और झालावाड़ जिला के गांवों की उक्त संख्या पहले ही शामिल की जा चुकी है।

परवन परियोजना चरण-1 उत्खनन और आवश्यकता के अनुसार, मध्यवर्ती स्थानों पर नहर अवसंरचना के साथ 141.35 कि.मी. लंबी नहर का लाइनिंग कार्य, सिंचाई सुविधा विकास के लिए सभी आवश्यक सहायक उपकरणों के साथ कमान क्षेत्र के भीतर 1.31 लाख हेक्टेयर पाइप लाइन बिछाने और डिगिज, पंप हाउस आदि का निर्माण कार्य शामिल है। नहर के उत्खनन का

एक बड़ा भाग और मुख्य पाइप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और नहरों की लाइनिंग, डिगीड, पंप हाउस आदि मुख्य शेष कार्य है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, चरण-I परियोजना में कल्चरेबल कमान क्षेत्र (सीसीए) चरण-II परियोजना की तुलना में लगभग डबल है। चरण-I के कार्यों की मौजूदा प्रगति 53 प्रतिशत है और चरण-II की 81 प्रतिशत है, जबकि परवन परियोजना की कुल प्रगति लगभग 78 प्रतिशत है।

राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार परवन बांध की प्रयोग योग्य क्षमता 462 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से, 50 एमसीएम पेयजल के लिए, 79 एमसीएम उद्योगों (थर्मल पावर परियोजना के लिए जल शामिल है) के लिए, 16 एमसीएम हिस्सा वन्य जीवों के लिए और 317 एमसीएम सिंचाई के लिए संरक्षित किया गया है।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना में विभिन्न कारकों के कारण देरी हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौरान कार्य प्रभावित होना, नहर और डिगिज के संबंध में कुछ भूमि अधिग्रहण मुद्दे, विभिन्न रोड और रेलवे क्रॉसिंग, गैस और पेट्रोलियम पाइप लाइन क्रॉसिंग आदि के संबंध में संबंधित संगठनों से आवश्यक अनुमति आदि प्राप्त करना शामिल है। यह सीसीए परियोजना के अधीन आने वाले गांवों के किसानों को वांछित सिंचाई लाभ प्रदान करने में अंततः विलंब का कारण बनी है। फिर भी, इस परियोजना के चरण-I और चरण-II में विलंब के कारण पेयजल लाभ प्रभावित नहीं है, चूंकि राजस्थान सरकार के संबंधित संगठनों द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को विकसीत करते हुए सीधे जल की निकासी की जाएगी।

जैसा कि सूचित किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है, ताकि इस परियोजना के त्वरित कार्य सुनिश्चित किए जा सकें, जबकि इस परियोजना द्वारा प्रभावित लोगों और किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का भी नियमित रूप से समाधान किया जाता है, ताकि इस क्षेत्र में समान आर्थिक और समाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।
